



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228664
CG-DL-E-31072021-228664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]
No. 213]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 2021/SHRAVANA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

सं. 19/2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट-2ट में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/66/एएम-21/पीसी-II (ख)/ई-28655.—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्ति शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार इसके साथ यथा संलग्न विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट-2ट में संशोधन करते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रयोक्ता प्रभार/जुर्माना/अन्य आवेदन शुल्कों के ऑनलाइन रिफंड हेतु संशोधित प्रक्रिया को इस सार्वजनिक सूचना से अधिसूचित किया गया है। किसी भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया जहां प्रत्यक्ष ऑनलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं है, हेतु ई-विविध भुगतान प्रक्रिया को भी अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक-2ट

प्रयोक्ता प्रभार का पैमाना और आवेदन-शुल्क/जुर्माना आदि जमा करने/
वापिस करने की प्रक्रिया

1. विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन शुल्क का स्केल:

क्र. सं.	विवरण	शुल्क का पैमाना (रुपयों में)
1.	आयातक-निर्यातक कोड/आईडी कार्ड के लिए आवेदन	पांच सौ रुपये
2.	प्रतिबंधित माल के लिए निर्यात लाइसेंस/स्कोमैट मर्दों के लिए आवेदन पत्र	एक हजार रुपये
3.	प्रतिबंधित मद/अनुमति/प्रमाण पत्र/अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए आयात लाइसेंस के लिए आवेदन	प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/अनुमति की बचाई गई राशि के सीआईएफ मूल्य/ड्यूटी पर न्यूनतम पांच सौ रुपये तथा अधिकतम एक लाख रुपये की शर्तों के अधीन प्रति एक लाख रु. अथवा उसका एक भाग
4.	प्रतिफल/प्रोत्साहन स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन पत्र	एक हजार रुपये
5.	डुप्लीकेट लाइसेंस/अनुमति/प्रमाण पत्र/स्क्रिप/आई कार्ड प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र	दो सौ रुपये
6.	लाइसेंस/स्क्रिप/प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र/अनुमति आदि में संशोधन/दो सौ रुपये शुद्धि के लिए आवेदन पत्र	दो सौ रुपये
6.(क)	प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.05 के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि के दौरान आईईसी का वार्षिक अद्यतनीकरण	शून्य
7.	स्कोमैट आदि के लिए प्राधिकार पत्र/स्क्रिप/अनुमति/ प्रमाण पत्र/लाइसेंस के प्रथम पुनर्विधीकरण के लिए आवेदन पत्र	पांच सौ रुपये
8.	स्कोमैट आदि के लिए प्राधिकार पत्र/स्क्रिप/अनुमति/ प्रमाण पत्र/लाइसेंस के द्वितीय पुनर्विधीकरण के लिए आवेदन पत्र	एक हजार रुपये
9.	प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-2ड. और परिशिष्ट-2झ के तहत प्राधिकृत एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन पत्र	पांच हजार रुपये
10.	परिशिष्ट-2छ के अनुसार प्रमाणन एजेंसी के रूप में आवेदन पत्र	भारत में स्थित आवेदकों के लिए दस हजार रु. और विदेशों में स्थित आवेदकों के लिए 250 अमरीकी डालर अथवा रुपए में समतुल्य राशि
11.	नीति/प्रक्रिया में छूट मांगने हेतु आवेदन पत्र	दो हजार रुपये
12.	किसी समिति के निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए आवेदन पत्र	पांच हजार रुपये
13.	प्राधिकार पत्र के मूल्य वर्धन के लिए आवेदन पत्र	अंतरीय सीआई मूल्य के लिए प्रति हजार एक/शुल्क से बचाई गई राशि को बढ़ाया जाना है। यदि अधिकतम निर्धारित शुल्क को पहले ही चुका दिया गया है तो किसी अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
14.	उद्गम का तरजीही प्रमाण पत्र को जारी करना।	छह सौ रुपये
15.	ईयू जीएसपी के तहत उद्गम का स्व-प्रमाणित प्रमाणीकरण का पश्च सत्यापन और अन्य एफटीए के तहत सत्यापन शुल्क	i. एकल इकाई के सत्यापन हेतु सात हजार पांच सौ रुपए ii. बहुल इकाई के सत्यापन हेतु बारह हजार रुपए एजेंसी इकाई से अलग से सरकारी दरों के अनुसार टीए और डीए ले सकते हैं।

16.	परिवहन और बाजार सहायता (टीएमए) के तहत लाभों की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन	एक हजार रुपए
-----	---	--------------

2. आवेदन शुल्क/जुर्माना/अन्य कोई शुल्क जमा कराने की विधि

प्रयोक्ता प्रभार/जुर्माना/कोई अन्य शुल्क निम्नलिखित विधि अनुसार जमा कराया जाएगा:—

अपेक्षित प्रयोक्ता प्रभार/जुर्माना/किसी अन्य शुल्क का ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन सेवाओं का हिस्सा होगा जो कि डीजीएफटी वेबसाइट (वेबसाइटों) पर होस्ट किए जाते हैं। ऑनलाइन सेवा कार्यप्रवाह पूरा होने पर विशेष प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे के लिए आवेदकों को निर्देशित करेगा। किसी भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया के मामले में जहां प्रत्यक्ष ऑनलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं है, वहां भुगतान डीजीएफटी की वेबसाइट पर ई-विविध भुगतान प्रणाली (ई-एमपीएस) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

ऑनलाइन भुगतान विकल्प में समय-समय पर यथा प्राधिकृत इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, युपीआई अथवा कोई अन्य भुगतान पद्धति शामिल होगी।

3. शुल्क भुगतान से छूट

विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 में यथानिर्दिष्ट आवेदक की ऐसी श्रेणी या वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा।

4. आवेदन शुल्क को वापिस करना।

आवेदन शुल्क और कुछ नहीं बल्कि आवेदन को प्रोसेस करने के लिए शुल्क है। इसलिए एक बार प्राप्त आवेदन शुल्क निम्नलिखित परिस्थिति के अतिरिक्त वापस नहीं किया जाएगा:

- (क) जहां निर्धारित शुल्क राशि से अधिक शुल्क जमा कराया गया है, या
- (ख) जहां शुल्क जमा करा दिया गया है किन्तु कोई आवेदन नहीं किया गया है, या
- (ग) जहां शुल्क गलती से जमा करा दिया गया है लेकिन आवेदक को लाइसेंस शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है।
 - i. जहां आवेदक शुल्क के रिफंड के लिए पात्र है वहां आवेदन ऑनलाइन रिफंड प्रबंधन प्रक्रिया का उपयोग कर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। आवेदन संबंधित प्राधिकारी को स्वतः जमा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित फाइल प्रस्तुत की गई शुल्क का भुगतान किया गया। यदि कोई फाइल जेनरेट नहीं हुई है तो आवेदन डिफाल्ट द्वारा डीजीएफटी (मुख्या.) को प्रस्तुत हो जाएगा।
 - ii. डीजीएफटी लिगेसी सिस्टम में किए गए भुगतान जिसका रखरखाव एनआईसी द्वारा किया जा रहा था, के रिफंड के लिए अनुरोध पूर्व में अधिसूचित मैनुअल प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एएनएफ-2 छ में आवेदन लाइसेंसिंग प्राधिकारी को जमा किया जा सकता है जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर शुल्क का भुगतान किया गया। आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी से यह सत्यापित करने के पश्चात् रिफंड आदेश पारित करेगा कि संबंधित राशि भारत सरकार के संबंधित कोषागार शीर्ष में जमा की गई है।
 - iii. रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकारी भुगतान किए गए शुल्क और रिफंड के लिए आधार का ब्योरा सत्यापित करेगा। संस्वीकृति का प्रस्ताव करने से पूर्व इसे फाइल पर विधिवत रूप से नोट किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा। संबंधित पीएओ संस्वीकृति के पश्चात् प्रयोक्ता को भुगतान प्राधिकृत करेगा।
 - iv. आवेदन शुल्क के रिफंड के लिए कोई दावा भुगतान की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - v. शुल्क वापसी के लिए संस्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से तीन महीने तक वैध होगा। उसके पुनर्वैधीकरण का आवेदन उस प्राधिकारी द्वारा जिसने शुल्क वापसी आदेश जारी किया है, पात्रता के आधार पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

5. शुल्क का समायोजन:

यदि पहले के प्राधिकार पत्र/स्क्रिप्स (जिन्हें सीमा शुल्क पत्तन पर पंजीकरण न होने के कारण, फर्म के आवेदन पर आरए द्वारा निरस्त कर दिया गया है) के बदले में आरए द्वारा एक नया आवेदन प्राधिकार पत्र या ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाती है, या आरए फर्म को सही स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए सुझाव देता है तो पहले के प्राधिकार पत्र/स्क्रिप में अदा किए गए आवेदन शुल्क के रिफंड के लिए अनुरोध किया जा सकता है। क्षेत्राधिकार प्राधिकारी के कार्यालय प्रमुख को किसी ऐसे रिफंड की स्वीकृति प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। ऐसी संस्वीकृति प्रस्तावित करने के पहले रिफंड के आधार को विधिवत रूप से नोट किया जाएगा।

- i. सार्वजनिक सूचना 49/2015-20, दिनांक 31.03.2021
- ii. सार्वजनिक सूचना 52/2015-20, दिनांक 30.11.2018,
- iii. सार्वजनिक सूचना 52/2015-20, दिनांक 30.11.2018

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th July, 2021

No. 19/2015-2020**Subject : Amendments in Appendix 2K of the Foreign Trade Policy- reg.**

F. No. 01/93/180/66/AM-21/P.C.II(B)/e- 28655.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 read with Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade amends Appendix-2K of the Foreign Trade Policy as enclosed herewith.

Effect of this Public Notice: With this Public Notice the revised process for online refund of user charges/penalty/other application fees is notified. The process for e-miscellaneous payments for any online/offline process where the direct online payment option is not available is also notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

APPENDIX -2K**Scale of User Charges and Process for Deposit/ Refund of Application Fee/Penalty, etc.****1. Scale of Application Fee for various services:**

Sl. No	Particulars	Scale of Fee (in Rupees)
1.	Application for Importer Exporter Code /Id Card	Five Hundred
2.	Application for Export License/ SCOMET items for restricted goods.	One Thousand
3.	Application for import License for restricted item/ permission / certificate / Advance Authorization / DFIA / EPCG Authorization	One per thousand or part thereof subject to a minimum of Rs. Five Hundred and maximum of Rupees one lakh on CIF value/duty saved amount of Authorization/ license / permission.
4.	Application for Duty credit scrip under rewards/ incentive scheme.	One Thousand
5.	Application for grant of duplicate license/ permission / certificate /scrip/ I- Card	Two Hundred

6.	Application for amendment/ correction in license/ scrip / Authorization/ certificate /permission etc.	Two hundred
6(A)	Annual updation of IEC during the period April to June as per Para 2.05 of HBP ⁱ	Nil
7.	Application for first revalidation of Authorization/ scrip/ permission /certificate/ license for SCOMET etc.	Five Hundred
8.	Application for second revalidation of Authorization / scrip/ permission / certificate/ license for SCOMET etc.	One thousand
9.	Application for Enlistment as an authorized agency under Appendix 2E and Appendix 2I of HBP	Five thousand
10.	Application for Certification Agency as per Appendix 2G	Ten thousand for applicant based in India and US\$ 250 or an amount equivalent in rupees for applicant based abroad
11.	Application for seeking relaxation in Policy/procedure	Two Thousand
12.	Application for review of decision of any committees	Five thousand
13.	Application for enhancement of value of Authorization	One per thousand for differential CIF value/duty saved amount to be enhanced. No additional fee is required if maximum prescribed fee has been paid initially.
14.	Issue of Preferential Certificate of Origin. ⁱⁱ	Rupees Six Hundred
15.	Post verification of self-certified Certification of Origin under EU-GSP and verification fee under other FTAs ⁱⁱⁱ	i. Rupees Seven Thousand Five Hundred for verification of single unit and ii. Rupees Twelve Thousand for verification of multiple units. Agencies may charge TA and DA as per Government rates separately from the unit.
16.	Application for reimbursement of benefits under Transport and Marketing Assistance (TMA)	One Thousand.

2. Mode of Deposit of Application Fee/Penalty/Any Other Fee

The user charges/penalty/any other fee shall be deposited in the following manner: -

Online payment of the requisite user charges/Penalty/any other Fee shall be part of the online services that are hosted on the DGFT website(s). The online service workflow when completed shall direct the applicants to the payment gateway for online payment of the specific charges.

In case of any online/offline process where the direct online payment option is not available, the payment is to be made online through the e-Miscellaneous Payments System(eMPS) on the DGFT Website.

The online payment options would include Internet Banking, debit cards, credit cards, UPI or any other payment methods as authorized from time to time.

3. Exemption from Payment of Fees:

No fee shall be payable in respect of any application made by such class or category of applicant as specified in Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993.

4. Refund of Application Fees:

Application fee is nothing but the fee for processing of the application. Therefore, the fee once received will not be refunded except in the following circumstances, namely: -

- a. Where the fee has been deposited in excess of the specified amount of fee; or
 - b. Where the fee has been deposited but no Application has been made; or
 - c. Where the fee has been deposited in error but the applicant is exempt from payment of fee.
- i. Where the applicant is eligible for refund of application fee, an application may be submitted online using the online refund management process. The application shall be auto-submitted to the concerned authority within whose jurisdiction the related file was submitted/the fee was paid. In case where no file has been generated the application shall be submitted to DGFT(HQ) by default.
 - ii. Any request for refund of payments made in the DGFT legacy system, which was being maintained by NIC, shall be made as per the manual procedure notified earlier. An application in the ANF-2G may be submitted to the licensing authority within whose jurisdiction the fee was paid. On receipt of application, the licensing authority shall pass refund order after verifying from the Pay and Accounts Officer concerned that the amount in question has been credited to the relevant treasury head of Government of India.
 - iii. On receipt of the online application for refund, the jurisdictional authority shall verify the details of the fees paid and grounds for refund. The same shall be duly noted and approved on file before proposing a sanction. Respective PAO would authorise the payment to the user on sanction.
 - iv. No claim for refund of application fee shall be entertained by the jurisdictional authority after expiry of one year from the date of the payment.
 - v. Sanction order for refund of fees shall be valid for three months from the date of issue. Request for revalidating the same may be considered on merits by the authority which issued the Refund Order

5. Adjustment of Fee:

In cases, where a new Authorization or Duty Credit Scrip is issued by RA in lieu of the earlier Authorization/Scrip (which has been cancelled by RA, on the request of the firm, on account of non-registration at the Customs Port), or in case the RA suggests the firm to file application under correct scheme the application fees paid in the earlier Authorization/Scrip may be requested for refund. Head of Office of concerned jurisdictional authority shall have the authority to propose sanction of any such refunds. The grounds for refund shall be duly noted before proposing a sanction.

ⁱ PN 49/2015-20 dated 31.03.2021

ⁱⁱ PN 52/2015-2020 dated 30.11.2018

ⁱⁱⁱ PN 52/2015-2020 dated 30.11.2018